रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 365] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 12, 2017/वैशाख 22, 1939
No. 365] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 12, 2017/VAISAKHA 22, 1939

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2017

सा.का.नि. 460(अ).—केंद्रीय सरकार, विनिर्दिष्ट बैंक नोट (दायित्वों की समाप्ति) अधिनियम, 2017 (2017 का 2) की धारा 5 के परंतुक के खंड (ग) के साथ पठित धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट बैंक नोट (अधिहरण किए गए नोटों का जमा किया जाना) नियम, 2017 है ।

(2) यह उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. अधिहरण किए गए विनिर्दिष्ट नोटों का जमा किया जाना.—जहां विनिर्दिष्ट बैंक नोटों का विधि प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा अधिहरण किया गया है या अभिग्रहण किया गया है या 30 दिसंबर, 2016 को या उससे पूर्व किसी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, तो ऐसे विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट रिजर्व बैंक के किसी कार्यालय में या उक्त प्रयोजन के लिए रिजर्व बैंक द्वारा अभिहित राष्ट्रीयकृत बैंक में किसी बैंक खाते में जमा करने के लिए या वैध मुद्रा में उनके मूल्य में विनिमय के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए दिया जा सकेगा, अर्थात् :--

(क) अधिहरण किए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को किसी व्यक्ति को लौटाया जाता है जो उस न्यायालय के समक्ष लंबित मामले में एक पक्षकार है तब व्यक्ति न्यायालय के निदेश को प्रस्तुत करने पर ऐसे विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को जमा करने या विनिमय करने का हकदार होगा, जिनकी क्रम संख्या,--

(i) को उस विधि प्रवर्तन अभिकरण द्वारा, जिसने उनका अधिहरण किया था या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, नोट कर लिया गया है ; और

(ii) का न्यायालय के निदेश पर वर्णन किया गया है ;

(ख) विनिर्दिष्ट बैंक नोटों का केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के पक्ष में न्यायालय के किसी आदेश द्वारा समपहरण किए जाने की दशा में वह सरकार न्यायालय के निदेश को प्रस्तुत करने पर ऐसे विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को जमा करने या उनका विनिमय करने की हकदार होगी ; या

(ग) विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को 30 दिसंबर, 2016 को या उससे पूर्व न्यायालय के आदेश द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की अभिरक्षा में रखे जाने की दशा में वह व्यक्ति न्यायालय के निदेश को प्रस्तुत करने पर ऐसे विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को जमा करने या विनिमय करने का हकदार होगा, जिनकी क्रम संख्या,--

(i) को उस विधि प्रवर्तन अभिकरण द्वारा, जिसने उनका अधिहरण किया था या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, नोट कर लिया गया है ; और

(ii) का न्यायालय के निदेश पर वर्णन किया गया है ।

3. कतिपय मामलों में इन नियमों का लागू न होना.—ये नियम 30 दिसंबर, 2016 के पश्चात् अधिहरण किए गए या अभिग्रहण किए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को लागू नहीं होंगे ।

[फा. सं. एस.-10/05/2017-सीवाई.1]

प्रवीण गर्ग, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2017

G.S.R. 460(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11, read with clause (c) of the proviso to section 5, of the Specified Bank Notes (Cessation of Liabilities) Act, 2017 (2 of 2017), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Specified Bank Notes (Deposit of Confiscated Notes) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Deposit of confiscated specified bank notes.— Where specified bank notes have been confiscated or seized by a law enforcement agencies or produced before a court on or before the 30th day of December 2016, such specified bank notes may be tendered, at any office of the Reserve Bank specified under sub-section (1) of section 4 of the Act or a nationalised bank designated by the Reserve Bank for the said purpose, for deposit in a bank account or exchange of the value thereof with legal tender, subject to the following conditions, namely:—

(a) in case confiscated specified bank notes are returned by the court to a person who is a party in case pending before that court, then, the person shall be entitled, on production of the direction of the court, to deposit or exchange such specified bank notes, the serial numbers of which—

(i) have been noted by the law enforcement agency which confiscated or produced them before the court; and

(ii) are mentioned in the direction of the court;

(b) in case specified bank notes are forfeited in favour of the Central Government or the State Government by an order of the court, then, that Government shall be entitled, on production of the direction of the court, to deposit or exchange such specified bank notes; or

(c) in case specified bank notes are placed in custody of any other person by an order of the court on or before the 30th day of December, 2016, then, the person shall be entitled, on production of the direction of the court, to deposit or exchange such specified bank notes, the serial numbers of which—

(i) have been noted by the law enforcement agency which confiscated or produced them before the court; and

(ii) are mentioned in the direction of the court.

3. These rules not to apply in certain cases.— These rules shall not apply to specified bank notes confiscated or seized after the 30th day of December, 2016.

[F. No. S-10/05/2017-Cy.I]

PRAVEEN GARG, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.05.12 22:42:12 +05'30'